

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 28/2018

दायर दिनांक : 29.10.2018

आदेश दिनांक : 29.08.2025

सुन्दरबाई पत्नी रामपाल खटीक, आयु वयस्क, निवासी कुरज तहसील रेलमगरा
जिला राजसमन्द

– प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, रेलमगरा

– विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

एवार्ड क्रमांक 2910 (अ)/दिनांक 25.09.2013/दिनांक 07.07.2017

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के अंतर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 के तहत एवार्ड क्रमांक 2910 (अ)/दिनांक 25.09.2013/दिनांक 07.07.2017 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या दो द्वारा कांकरोली से भीलवाडा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा में गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गई है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही है। अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थिया की भूमि जो राजस्व ग्राम खण्डेल तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की आराजी संख्या



Feb

1697 रकबा 0.2023 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 200 रुपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 3,94,485/- रुपये ही तय किया गया है तथा इस पर किये गये निर्माण का 2,36,008/- रुपये एवं बने हुए कुंए का कोई मुआवजा तय ही नहीं किया गया है न ही अदा किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा 195 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से तय किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 2023 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 200/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थिया से लगती हुई भूमि आवासीय रूपान्तरण होकर भूखण्ड 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अंतरण हुआ है। जबकि प्रार्थिया की 2023 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 6,30,493 /- रुपये तय किया गया है जबकि मौके पर बने हुए कुंए का कोई मुआवजा ही तय नहीं किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है जो प्रार्थिया को नहीं दिया गया है न ही दिनांक 25.09.2013 से ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थिया ने मुआवजा भुगतान के लिये एवं बने हुए निर्माण को भुगतान न करने तक एवं कुंए को मुआवजा का भुगतान न करने तक नहीं गिराने के लिये भी एवं कब्जा प्राप्त नहीं करने बाबत श्रीमान जिला कलक्टर राजसमन्द एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां पर प्रतिवेदन दिये गये लेकिन प्रार्थिया की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस सारी कार्यवाही में तत्कालीन समय में पटवारी हल्का तहसीलदार एवं सदभाव कम्पनी के अधिकारी आपस में मिले हुए थे जिन्होंने बदनीयती पूर्वक प्रार्थिया की भूमि पर उसे मुआवजा दिये बगैर ही बनी हुई बाउण्ड्री, कमरे एवं कुंए को गिराकर क्षतिग्रस्त करदिया और उस स्थान पर रोड़ का निर्माण कार्य अवैध रूप से कर दिया गया। प्रार्थिया ने मुआवजा अदा करने बाबत अपने स्वयं द्वारा एक प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने के बाबत सूचना पत्र भी प्रेषित किया जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी इसके मुआवजा का एवार्ड जारी नहीं किया गया न ही राशि की अदायगी की गई। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थिया को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थिया की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत



(Handwritten signature)

प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थिया प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थिया की कुल अवाप्तशुदा भूमि 2023 वर्गमीटर में प्रार्थिया द्वारा किये गये निर्माण एवं कुएं का मुआवजा तय नहीं किया गया है तथा मुआवजा राशि की दो गुना राशि तथा इस पर दिनांक 25.09.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थिया प्राप्त करने का अधिकारी हैं। नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थिया की भूमि का बाजार दर से 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थिया को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर अधिवक्ता श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थिति दी, विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री अधिवक्ता श्री दिनेश बाफना ने उपस्थिति दी एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अवाप्त शुद्धा भूमि का मुआवजा राशि 394485 रु. एवं कुआ, संरचना, मकान आदि निर्माण का 236008 रु. नियमानुसार तय किया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है, प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से राशि चाहती है, जो देय नहीं है, मुआवजा तत्समय प्रचलित डीएलसी दर से तय किया है, जो सही है। मुआवजा नियमानुसार तय किया गया है, किन्तु प्रार्थी द्वारा क्लेम संबधि पत्रादि पेश नहीं करने से RTGS से भुगतान किया जाना शेष है, जिसके लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। प्रार्थी का जिस भूमि का मुआवजा प्राप्त चाहता है, RFCTLARR ACT 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित डीएलसी दर से तय कर अवार्ड जारी कर दिया है, जिसके भुगतान हेतु प्रार्थी द्वारा भुगतान पत्रादि, शपथ पत्र, बैंकपास बुक, कब्जा हस्तान्तरण पत्र, मुआवजा प्राप्ति रसीद, फोटो इत्यादि औपचारिकताएं अब तक पूर्ण नहीं की गयी हैं। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की अवाप्त भूमि के सम्पूर्ण अवार्ड नियमानुसार निर्धारित डीएलसी दर से तय कर जारी किया जा चुका है किन्तु प्रार्थी के द्वारा भुगतान पत्रादि, शपथ-पत्र, बैंकपास बुक, कब्जा हस्तान्तरण पत्र, मुआवजा प्राप्ति रसीद, फोटो इत्यादि औपचारिकताएं अब तक पूर्ण नहीं की जाने से भुगतान शेष है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त फरमावे।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 28.12.2012 को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित 3 डी की अधिसूचना संख्या का.आ. 2910 दिनांक 25.09.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 के 00.000 किमी से 30.000 किमी से 30.000 किमी (भीलवाड़ा-राजसमन्द सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिये गांव खण्डेल तहसील रेलमंगरा के खसरा नं. 1697 ना निदेशक रकबा 0.2023 है0 किस्म बारानी तृतीय बीड जो राजस्व अभिलेख में सुन्दर बाई पत्नि रामपाल खटीक सा. कुरज खातेदारी रहन



Deh

एम.ए.जी.बी. शाखा रेलमंगरा के नाम दर्ज है। बाबत अवाप्ति की कार्यवाही की गई तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारी को मुआवजा राशि प्रेषित कर दी गई है। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों बाबत आपत्ति नहीं है। दिनांक 07.07.2017 को 3,94,485/- रुपये का संशोधित अवार्ड जारी किया गया था उसमें संशोधन करते हुए RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 1.75 गुणा कारक राशि व नियमानुसार ब्याज राशि जोड़कर संरचना सहित कुल देय राशि 20,62,429/- रुपये का अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से पूर्व स्वीकृत शुदा राशि 6,30,493/- रुपये कम करते हुए शेष सकल देय राशि 14,31,936/- रुपये के भुगतान के आदेश दिये गये थे, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No 12746/17 व अन्य रिट पीटीशनो में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 अनुसार उक्त राशि देय नहीं है। दिनांक 25.07.2014 को पारित अवार्डानुसार राशि जवाबदाता ने सक्षम अधिकारी को दिनांक 05.09.2014 को ही प्रेषित कर दी है जहाँ से भुगतान की कार्यवाही की जाती है। कि सक्षम प्राधिकारी जी ने दिनांक 25.07.2014 को विधि अनुसार अवार्ड जारी फरमाया है, अवार्ड निर्धारित करते समय 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि भी जोड़ी गई है यह राशि भूमि की अनिवार्य अवाप्ति की एवज ही दी गई है, जिससे प्रार्थीया को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अवार्ड दिनांक 25.07.2014 के अनुशरण में मुआवजा राशि दिनांक 05.09.2014 को ही सक्षम प्राधिकारी जी को प्रेषित कर दी गई थी, जिससे RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधान लागू नहीं होने से अब कोई राशि कानूनन देय नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र जवाबदाता के विरुद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवाप्तिशुदा भूमि में प्रार्थीया की भूमि जो राजस्व ग्राम खण्डेल तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद की आराजी संख्या 1697 रकबा 0.2023 हेक्टेयर को भी सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 200 रुपये प्रतिवर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 3,94,485/- रुपये ही तय किया गया है तथा इस पर किये गये निर्माण का 2,36,008/- रुपये एवं बने हुए कुंए का कोई मुआवजा तय ही नहीं किया गया है न ही अदा किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा 195 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से तय किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 2023 वर्गमीटर अवाप्त की गई है, उस पर 200/- रुपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थीया से लगती हुई भूमि आवासीय रूपान्तरण होकर भूखण्ड 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से अंतरण हुआ है। जबकि प्रार्थीया की 2023 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 6,30,493 /- रुपये तय किया गया है जबकि मौके पर बने हुए कुंए का कोई मुआवजा ही तय नहीं किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा 200 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है जो प्रार्थीया को नहीं दिया गया है न ही दिनांक 25.09.2013 से ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे



(Handwritten signature)

तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थिया को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थिया की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थिया प्राप्त करने के अधिकारी है। नवीन भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थिया की भूमि का बाजार दर से 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी अदा करने के प्रावधान है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि गांव खण्डेल तहसील रेलमंगरा के खसरा नं. 1697 ना निदेशक रकबा 0.2023 है 0 किस्म बारानी तृतीय बीड़ जो राजस्व अभिलेख में सुन्दर बाई पत्नि रामपाल खटीक सा. कुरज खातेदारी रहन एम.ए.जी.बी. शाखा रेलमंगरा के नाम दर्ज है। बाबत अवाप्ति की कार्यवाही की गई तथा अवाप्तशुदा भूमि का सक्षम प्राधिकारीजी को मुआवजा राशि प्रेषित कर दी गई है। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों बाबत आपत्ति नहीं है। दिनांक 07.07.2017 को 3,94,485/- रूपये का संशोधित अवार्ड जारी किया गया था उसमें संशोधन करते हुए RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 1.75 गुणा कारक राशि व नियमानुसार ब्याज राशि जोड़कर संरचना सहित कुल देय राशि 20,62,429/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया है, जिसमें से पूर्व स्वीकृत शुदा राशि 6,30,493/- रूपये कम करते हुए शेष सकल देय राशि 14,31,936/- रूपये के भुगतान के आदेश दिये गये थे, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No 12746/17 व अन्य रिट पीटीशनो में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 अनुसार उक्त राशि देय नहीं है। दिनांक 25.07.2014 को पारित अवार्डनुसार राशि जवाबदाता ने सक्षम अधिकारी को दिनांक 5.09.2014 को ही प्रेषित कर दी है जहाँ से भुगतान की कार्यवाही की जाती है। कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 25.07.2014 को विधि अनुसार अवार्ड जारी फरमाया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुन्जायश नहीं है। अवार्ड निर्धारित करते समय 10 प्रतिशत सोलेशियम राशि भी जोड़ी गई है यह राशि भूमि की अनिवार्य अवाप्ति की एवज ही दी गई है, जिससे प्रार्थिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबदाता द्वारा अवार्ड दिनांक 25.07.2014 के अनुशरण में मुआवजा राशि दिनांक 05.09.2014 को ही सक्षम प्राधिकारी जी को प्रेषित कर दी गई थी, जिससे RFCTLARR Act 2013 में वर्णित प्रावधान लागू नहीं होने से अब कोई राशि कानूनन देय नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र सव्य खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No 12746/17 व अन्य रिट पीटीशनो में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 के खण्डन में यह निवेदन किया कि उक्त SB Civil Writ Petition No 12746/17 व अन्य रिट पीटीशनो को पूर्व में खारिज किया जा चुका है तथा उक्त बाबत राजस्थान उच्च



[Handwritten signature]

न्यायालय जोधपुर डी0बी0 स्पेशल अपील Writ No 138/2020 को भी खारिज किया जा चुका है।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने निवेदन किया विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही मेरी बहस माना जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2017 को प्रार्थी के पक्ष में संशोधित अवार्ड जारी किया गया है। जिसमें अवार्ड की गणना RFCTLARR Act 2013 के प्रावधानों के अनुसार की गयी है तथा इसमें प्रावधानों के अनुसार 1.75 को गुणक माना गया है। तथा उसमें उतनी ही राशि तोषण (solatium) हेतु भी निर्धारित की गयी है। संरचनाओं व ब्याज की कीमत भी अवार्ड में उल्लेखित है। इस प्रकार प्रार्थी को कुल 20,62,429 रुपये की राशि का अवार्ड जारी किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में इस संशोधित अवार्ड का हवाला नहीं दिया जाकर दिनांक 07.07.2017 के मूल अवार्ड का ही हवाला दिया है परन्तु प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि उसकी भूमि से लगती हुई भूमि आवासीय रूपान्तरणशुदा भूमि है जबकि उसको भुगतान कृषि भूमि की दर अनुसार किया गया है। यहां प्रार्थी का कथन मानने योग्य नहीं हैं क्योंकि प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि है और प्रार्थी ने आवासीय दर से मांग की है। परन्तु राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि ही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा विपक्षीगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी को संशोधित अवार्ड दिनांक 07.07.2017 के अनुसार शेष भुगतान योग्य अंतर राशि 14,31,936 का अविलम्ब भुगतान करे। आदेश की प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की मूल अवार्ड पत्रावली भिजवाई जावें।

(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द